न्यायालय– मनीष कुमार लोवंशी, 25 वें अपर सत्र न्यायाधीश, इंदौर(म.प्र.)

जमानत आवेदन क्रमांक 2658/2026

अपराध क्रमांक 99/2026

फाईलिंग नंबर 46885/2026

अनिता पिता तेजराम, उम्र–32 वर्ष, व्यवसाय–नौकरी,
निवासी–ग्राम शाहपुरा, इंदौर .....**आवेदक/अभियुक्त**

वि रू द्ध

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र काईम ब्रांच, इंदौर ..... **अभियोगी/राज्य**

21-07-2026 यह जमानत आवेदन मय केसडायरी के माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर के न्यायालय से अंतरण पर प्राप्त।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा श्री हरिश गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री श्याम दांगी अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

थाना काईमब्रांच के अपराध क्रमांक 99/2026 धारा 316(4), 316(5) बी.एन.एस. की केस डायरी मय प्रतिवेदन पूर्व से प्राप्त।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत **प्रथम अग्रिम जमानत** आवेदन पत्र अंतर्गत **धारा 482** भा.ना.सु.सं. पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

इसी प्रक्रम पर अनापत्तिकर्ता वनिता दांगी सहित श्री विनायक बालचंदानी अधिवक्ता ने मय उपस्थिति ज्ञापन सहित उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत, प्रतिलिपि आवेदक/आरोपी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा एमसीआरसी क्र. 8227/23 (दीपक यादव विरूद्ध स्टेट आफ एम.पी.) में पारित आदेश दिनांक 01.04.2023 के पालन में विवरण :–

पुलिस थाने का नाम	काईम ब्रांच,
अपराध क्रमांक	99/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	08.07.226
गिरफ्तारी दिनांक	होना शेष है।
अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास	संलग्न नहीं।
जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का प्रक्रम	विवेचनाधीन
अभियोग पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	पेश नहीं।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन इस आधार पर पेश किया गया है कि वह एक सीधी–सीधी महिला होकर उसके द्वारा किसी

भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया गया है तथा प्रार्थी का पूर्व में भी कोई पुलिस रिकार्ड नहीं है, प्रार्थी एक प्रतिष्ठित परिवार की सदस्या है। फरियादी की रिपोर्ट पर से प्रार्थी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर थाना क्राईमब्रांच के अंतर्गत धारा 420 के साथ अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। वह शांतिप्रिय नागरिक होकर उसकी चल अचल सम्पत्ति जिला इंदौर में स्थित होने से उसके भाग जाने या उसके फरार हो जाने की कोई संभावना नहीं है। उसकी समाज में काफी मान प्रतिष्ठा व छवि अत्यंत उज्जवल होने से यदि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा नहीं किया गया तो समाज एवं मिलने वालों में उनकी छवि धूमिल हो जावेगी। प्रार्थी का आज दिनांक तक किसी भी थाने में कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। प्रार्थी एक सामजिक महिला होकर अपने परिवार के साथ निवास करती है। पुलिस द्वारा अकारण ही उसे निरंतर परेशान किया जा रहा है और लगातार गिरफ्तार की धमकिया दी जा रही है। वह न्यायालय की समस्त शर्तों व निर्देशों का पालन करने हेतु तत्पर है तथा न्यायालय के आदेशानुसार योग्य प्रतिभूति अदा करने हेतु तथा पुलिस की जॉच में पूर्ण सहयोग करने हेतु भी तत्पर है। अतः उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया है

आवेदक/अभियुक्त का प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन होने के सम्बन्ध में उसने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है।

राज्य की ओर से उपस्थित अपर लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन पर अपना मौखिक विरोध व्यक्त किया है।

आपत्तिकर्ता की ओर से लिखित आपत्ति इस आशय की पेश की कि उसके साथ आरोपी त्रिलोकी प्रसाद गुप्ता एवं अनीता गेहलोद ने आपस में मिलकर बंधक संपत्ति को बंधकमुक्त बताते हुए फरियादी से प्लाट क्रय करने के संबंध में 18,75,000/– रूपए की राशि प्राप्त कर विक्रय पत्र निष्पादित न करते हुए उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। अतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया जावे।

अभियोजन मामला संक्षेप में यह है कि आरक्षी केन्द्र अपराध शाखा इंदौर को आवेदिका वनिता पति राजेन्द्र डांगी की शिकायत जांच हेतु प्राप्त हुई, जिसकी जांच, संलग्न कथन एवं दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया गया कि आरोपिया अनिता गेहलोद व उसके साथी त्रिलोकीप्रसाद गुप्ता की रियल्टी युनाईटेड इन्फ्रा प्रा. लि. के नाम से कंपनी होकर दोनों उक्त कंपनी के डायरेक्टर है। आरोपीगण द्वारा अपनी कंपनी के माध्यम से

फरियादिया वनिता डागी वयोवृद्ध को माह अप्रैल 2024 में सुपर कॉरिडोर में स्थित आर्चिड पार्क में विकास अनुमति में बंधक प्लाट नं 16 कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट प्लाट को 2500/– प्रति वर्गफीट के मान से कुल रूपए 25,00,000/– में क्रय करने हेतु दिनांक 10.05.2024 को विक्रय पत्र अनुबंध संपादित किया गया जिस पर से फरियादिया के द्वारा बयाना राशि रूपए 50,000/– नगद तथा कुल प्रतिफल राशि रूपए 18,75,000/– विभिन्न दिनांक को विभिन्न रीतियों से प्राप्त कर शेष राशि रूपए 6,25,000/– जो कि रजिस्ट्री के समय देने का करार कर रियल्टी युनाईटेड इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अनिता गेहलोत व उसके साथी त्रिलोकीप्रसाद गुप्ता द्वारा आवेदिका वनिता को उक्त प्लाट की रजिस्ट्री नही कराकर कुल राशि 1875000/– रूपए प्राप्त कर अमानत में ख्यानत कर धोखाधड़ी की गई है। जो शिकायत जॉच पर अनावेदकगण/आरोपीगण अनिता गेहलोद व त्रिलोकी प्रसाद के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या अपराध धारा 318 (4), 316(5) बी.एन.एस. 2023 का घटित होना पाए जाने से उसकी विधिवत् अनुमति पुलिस उपायुक्त अपराध इंदौर के आदेश क्रमांक/पु.उपा./अप./इं./प्रक./38/2026 दिनांक 08.07.2026 के माध्यम से प्राप्त कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण विवेचनाधीन है।

केस डायरी/प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया, जिससे प्रतीत होता है कि रियल्टी युनाईटेड इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अनिता गेहलोत व उसके साथ त्रिलोकी प्रसाद गुप्ता द्वारा आपस में मिलकर माह अप्रैल 2024 में सुपर कॉरिडोर स्थित आर्चिड पार्क में विकास अनुमति में बंधक प्लाट नं. 16 कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट प्लाट को 2500/– प्रति वर्गफीट मान से कुल 25,00,000/– रूपए में क्रय करने हेतु विक्रय अनुबंध संपादित कर रूपए 18,75,000/– प्राप्त कर उक्त प्लाट की रजिस्ट्री नहीं कराकर धोखाधड़ी की गई है। घटना दिनांक की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 08.07.2026 को दर्ज की गई है तब से लेकर आज दिनांक तक आवेदक/अभियुक्त को घटना की सम्पूर्ण जानकारी होकर वह फरार रही है। प्रकरण विवेचनाधीन होकर यदि आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता है तो उसके फरार होने या साक्ष्य संकलन प्रभावित किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

प्रकरण की उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/आरोपी **अनिता गेहलोत** को वर्तमान प्रक्रम पर जमानत पर छोडा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना आवेदक/आरोपी

अनिता गेहलोत की ओर से प्रस्तुत प्रथम **अग्रिम** जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482 भा0ना0सु0सं0 **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केसडायरी वापस की जावे।

जमानत आवेदन सीआईएस में डिस्पोस कर आदेश अपलोड किया जाकर निर्धारित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

MANISH KUMAR LOWANSHI

Digitally signed by MANISH KUMAR LOWANSHI
Date: 2026.07.21 17:53:17 +0530

मनीष कुमार लोवंशी
25वें अपर सत्र न्यायाधीश,
इंदौर (म.प्र.)